न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 48/2023(GCMS 2023/178)
(आरटीआई संख्या 212588800773614)

श्री अभिमन्यु सिंह पुत्र श्री मनजीत सिंह, 6 सी ब्लॉक, वार्ड नं. 16, पिन– 335073, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर मोबाईल नम्बर–8764394544

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, श्रीकरणपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

17.03.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री अभिमन्यु सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुए, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, करणपुर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री अभिमन्यु सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र के द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी से निम्न **सूचना चाही थी :**

There are many religious places in Karanpur. Which are using loudspeakers not only without permission but also loudly in morning and evening. Eg. Arrovansh gurudwara near my house ward No. 16. It is clearly violation of Noise Pollution Act 2000. My Question is under which law they are permitted to use loudspeakers and why not police is taking any action against them?

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:40:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, श्रीकरणपुर ने अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आप द्वारा प्रेषित ईमेल द्वारा उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में सूचना चाही गई थी। श्रीमानजी उक्त प्रकरण ऑनलाईन दर्ज किया गया था। जिसकी वर्तमान सूचना के अधिकार पोर्टल पर सूचना शून्य प्रदर्शित हैं। अतः प्रार्थी से सम्पर्क किया जाकर प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया है, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र इस पत्र के संलग्न कर श्रीमानजी की सेवा में सादर प्रस्तुत है।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीकरणुपर ने अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है, जो सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी अभिमन्यु सिंह ने स्वयं ने तहसीलदारर, श्रीकरणपुर के मार्फत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि उनकी समस्त का समस्या पूर्ण तरीके से किया जा चुका है और वे पूर्णरूप से संतुष्ट व सहमत है। इसलिए वे, इस अपील में किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं चाहते है और प्रकरण दाखिल दफ्तर करने की प्रार्थना की है।

चूंकि अपीलार्थी स्वयं उक्त अपील में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं चाहता है और प्रकरण को दाख़िल दफ्तर करने की प्रार्थना की है। परिणामस्वरूप अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र की प्रति पत्रावली में उपलब्ध है। **इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील इसी आधार पर खारिज की जानी उचित है।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीकरणपुर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.03.2[illegible] को मेरे **द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:50:05 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर